न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

(पंचायत) निगरानी संख्या 14/ 16 वर्ष 2016
जीसीएम संख्या :–2016/00280

बउनवानीः–1. कालू पुत्र अनोख्या कजंर निवासी चौथ का बरवाडा (मृतक)
1/1. श्रीमति शांति पत्नि कालू जाति कंजर
1/2. पिंकू पुत्र कालू जाति कंजर
1/3. सिंकू पुत्र कालू जाति कंजर
1/4. कुमारी सोनम पुत्री कालू कंजर नि0केशव बस्ती कंजर कॉलोनी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. संतरी पुत्र मथुरिया कंजर निवासी केशव बस्ती कंजर कॉलोनी चौथ का बरवाडा
2. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

(निगरानी विरूद्व निर्णय दिनांक 5.3.2008 पत्रावली संख्या 1268 दायर दिनांक 5.12.2006 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः–1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय वकील प्रार्थी
2. श्री हंसराज यादव वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.11.2024

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.3.2008 पत्रावली संख्या 1268 दायर दिनांक 5.12.2006 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि कथित आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे ।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। वकील उभय पक्षो द्वारा लिखित बहस पेश की गयी है।

वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में अंकित किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी पटटा विधिविरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि जिस भूमि को ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि मान कर उसपर विपक्षी संतरी का पुराना कब्जा मानकर पटटा दिया गया है वो वास्तव में प्रार्थी निगरानी गुजार की खातेदारी की भूमि ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 है जो खाता संख्या 650 मे प्रार्थी व प्रार्थी के भाई रामगोपाल की खातेदारी की भूमि है जिसे हमारे पिता अनोख्या द्वारा जागीर के समय से ही हमारे मकानात बनाये हुऐ है जो आज भी हमारी खातेदारी मे दर्ज है। न्यायालय हाजा द्वारा भी तलब की गयी रिपोर्ट में उक्त भूमि ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 को प्रार्थी की खातेदारी भूमि बताया गया है जिसपर ग्राम पंचायत को पटटा जारी करने का अधिकार नही है। जहॉ तक विवादित स्थान पर मौके पर मकानात बना होने का प्रश्न है तो स्वंय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने प्रार्थीगण के पिता के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी की बहन लाडा देवी के नाम पूर्व में पटटा जारी किया हुआ है जिसमे प्रार्थी की बहिन लाडा देवी प्रार्थी के पिता के जीवन काल तक रही बाद मे उक्त मकान को हमे देकर चली गयी जिसपर विपक्षी [illegible] से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिसको लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा [illegible] फौजदारी मुकदमे चल रहे है। इस प्रकार अप्राथी हमारी खातेदार भूमि पर जबरन कब्जा करने का [illegible] किये जाने पर एक राजस्व वाद कालू बनाम संतरी उपजिला कलेक्टर न्यायालय चौथ का बरवाडा मे विचाराधीन है। विवादित भूमि पर संतरी का कभी कब्जा नही रहा है तथा ग्राम पंचायत को प्रार्थी [illegible] खातेदारी भूमि पर पटटा [illegible] का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नही है परन्तु विपक्षी के परिवारजन ग्राम पंचायत में वार्ड पंच होने के कारण अपने प्रभाव का उपयोग कर विधि विरूद्व तरीके से पटटा जारी करवा लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक दृष्टान्त मे अवधारित किया है कि ग्राम पंचायत को सिर्फ उसी भूमि पर पटटा जारी करने अधिकार है जिस भूमि को राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु सेट अपार्ट की जाकर ग्राम पंचायत को दी गयी हो। उक्त पटटा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा मनमाने तरीके से जारी किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि विवादित पटटे की सर्वप्रथम जानकारी न्यायालय के सम्मन दिनांक 19.6.2016 को प्राप्त होने पर प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी से अन्दर मयाद निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस में अंकित किया कि प्रथम तो निगरानीकार द्वारा यह निगरानी मयाद बाहर एवं बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह है कि हाल सेटलमेंट के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम चौथ का बरवाडा के साबिक खसरा नम्बर 288 में स्थित भूमि की गलत तरमीम कर दिये जाने एवं गलत तरमीम के आधार पर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की भूमि जो गै0मु0 आबादी है जिसपर वर्षो से अप्रार्थी एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आवासीय मकान बनाकर स्थायी निवास कर रहे है एवं ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर स्थायी आवास बनाकर रहने वाले लोगो के पक्ष में विधिक प्रक्रिया का पालन कर पटटे जारी किये गये है उक्त भूमि पर गलत तरमीम के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 288 में स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थी की कृषिभूमि एवं ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की आबादी भूमि का नक्शा जारी कर दिया। विशेष यह है कि प्रार्थी कालू पुत्र अनोख्या कंजर के नाम दर्ज भूमि साबिक खसरा नम्बर 288 किस्म बारानी भूमि के नवीन सेटलेमेंट के बाद ख0न0 1388 रकबा 0.28 है0 बने है को बारानी दर्ज कर दिया एवं नवीन ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 को गै0मु0 आबादी दर्ज कर गैर खातेदारी का इन्द्राज कर दिया जो गलत है क्योकि प्रथम तो गै0मु0 आबादी भूमि काश्त हेतु आवंटन नही की जा सकती तथा यदि खातेदार या आवेदक स्वंय की कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तर करवाता है जो सक्षम प्राधिकारी संपरिवर्तन करता है तथा कानूनन गैर खातेदार के पक्ष में भूमि रूपान्तरण करवाने हेतु कोई अधिकार पैदा नही होते है ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली मे पेश नही किया है इस कारण प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो पर यह निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी का आवासीय मकान साबिक ख0न0 288 गै0मु0 आबादी में बना हुआ है परन्तु हाल सेंटलमेंट के बाद साबिक ख0न0 288 से नवीन ख0न0 1369 लगायत 1387 बने है एवं किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है जिसमे ग्राम पंचायत की भूमि का नक्शा गलत दर्ज कर दिया एवं प्रार्थी की गैर खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 288 से बने नवीन ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0 को गै0मु0 आबादी में दर्ज कर दिया जो बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तरमीम कर किस्म परिवर्तन की है जो गलत है। प्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा विलेख संख्या 10/21 दिनांक 5.3.2008 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को निरस्त करवाने हेतु माननीय न्यायालय में अलग–अलग निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 14/16 कालू बनाम संतरी एवं 25/16 पीरू बनाम संतरी पेश की है जिसमे दोनो ही निगरानी गुजार अप्रार्थी संतरी के आवासीय मकान बाबत जारी पटटे को निरस्त करवाना चाहते है। इस प्रकार दोनो निगरानीकार अप्रार्थी के मकान के हकदार कैसे हो सकते है। अप्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.2.2020 को इस आशय का पेश किया कि निगरानी [illegible] पत्र में तथाकथित प्रस्तुत पटटा विलेख प्रार्थी का मूल दस्तावेज एवं साबिक ख0न0 288 [illegible] नम्बर 1747 किस्म गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा की भू प्रबंध से पूर्व की [illegible] की स्थिति एवं उक्त ख0न0 किन किन व्यक्तियों को आवंटन किया गया परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र का सही निर्णय नही कर मनमाने तरीके

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 17:59:32 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner